न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

(जीसीएमएस न. 2025/110)

प्रकरण संख्याः– 65/2025

तारीख दायरः– 25/07/2025

निर्णय दिनांकः–27/10/2025

उनवान

1. कस्तुर पुत्र पेमा जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. केसी पत्नी पेमा जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. तुलसीराम पुत्र पेमा जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. पनालाल पुत्र चतुरभुज जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. मांगीलाल पुत्र पेमा जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण।

बनाम

1. गणेश पुत्र भुरा जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. गंगा पुत्री भुरा पत्नी गेहरीलाल जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. तुलसीदेवी पुत्री भुरा पत्नी लक्ष्मण जाति सुथार निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

➢ मृतक प्रतापी के वारिसानः– 2 व 3

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीतामपुरा पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 56 खसरा संख्या 137, 142, 146 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9700 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेशिका पर पत्थरगढ़ी किये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

अपनी सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 03 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन करने से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप के आदेश दिए गए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीतामपुरा पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 56 खसरा संख्या 137, 142, 146 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9700 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह [illegible]वार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द